

माननीय न्यायालय

प्रकरण क्रमांक :

/20

प्रार्थी

विरुद्ध

प्रतिप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 437/439 जा. फौ.

उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्त की ओर से निम्न प्रार्थना है कि

मान्यवर महोदय

1. यह कि अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा/पुलिस अभिरक्षा में है।
2. यह कि अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस द्वारा असत्य आधारों पर झूठा व असत्य प्रकरण बनाकर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
3. यह कि अभियुक्त निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है तथा प्रकरण में अपना ट्रायल फेस करना चाहता है। न्यायिक अभिरक्षा में रहकर वह अपना बचाव ठीक तौर पर नहीं कर सकेगा।
4. यह कि अभियुक्त का अपराध आजन्म कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय या गंभीर प्रवृत्ति का अपराध नहीं है जिस कारण विधि अनुसार अभियुक्त जमानत का लाभ पाने का पात्र है।
5. यह कि अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी होकर उसके परिजन रिश्तेदार आदि भी रत्नाम जिले में स्थित होने से व परिवार की चल अचल संपत्ति भी उपरोक्त पते में ही स्थित होने से अभियुक्त के जमानत पर रिहा होकर कही भाग कर चले जाने का अंदेशा भी नहीं है।
6. यह है कि अभियुक्त अपने परिवार का एकमात्र भरणपोषणकर्ता होकर अभियुक्त का परिवार अभियुक्त की आय पर ही आश्रित है यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा नहीं किया गया तो उसके परिवार के समक्ष विकट संकट उत्पन्न हो जावेगा।
7. यह कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने पर वह किसी भी साक्ष्य को प्रभावीत, डराने धमकाने आदि का प्रयास नहीं करेगा।
8. यह है कि अभियुक्त माननीय न्यायालय के समक्ष उचित जमानत मुचलके पेश करने को भी तत्पर है व माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपीत जमानत मुचलके की तमामशर्तों का पालन करने को भी तत्पर है।

अतः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त समस्त परिस्थीतियों को दृष्टिगत रखते हुवे अभियुक्त को उचित जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने का आदेश प्रदान किया जाये। यह विनय है।

दिनांक :

हस्ताक्षर – अभियुक्त/अभियुक्तगण

स्थान:

अभिभाषक